12.11.20

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० श्री पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थी नं० 1, के जवाब, प्रार्थना पत्र 151 c.p.c., रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी पर सम्यक विचार किया गया।

प्रार्थी० द्वारा ग्राम कमलपुरा की भूमि खस० नं० 236 पर आने जाने हेतु रास्ते की अपेक्षा सहित यह प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी० द्वारा अप्रार्थी की भूमि में से 30 फिट चौड़े रास्ते की अपेक्षा कर प्रा० पत्र प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जिस पर मौका रिपोर्ट एवं रिपोर्ट प्राप्त की। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 233 के क्रम में प्रा० पत्र 151 CPC पेश किया, जो सा०का० किया गया।	
	मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि खसरा नं० 236 पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 233 एवं 235 में से होकर 9 मीटर चौड़े रास्ते का उपयोग कर रहे थे।	
	खसरा नं० 233 सिवाय चक है, तथा खसरा नम्बर 235 अप्रार्थी नम्बर 1 की भूमि है। अप्रार्थी को उसके खसरा नं० 235 में से रास्ता देने बाबत आपत्ति नहीं है।	
	खसरा नम्बर 233 जो गैर मुमकिन नाला है, उसमें से ही प्रार्थी का रास्ता अवगत कराया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग में लेने हेतु नियत रकम जमा कराने हेतु तत्पर है। साथ ही उक्त भूमि में से रास्ते की अनुमति चाही है।	
	प्रार्थना पत्र 151 C.P.C. पर विचार किया। प्रकरण वर्णित भूमि खसरा नम्बर 233 की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज है। उक्त भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में यथा प्रतिबंधित भूमि है, जिसे अन्य प्रकार से अर्थात नाले के अतिरिक्त अन्य उपयोग हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उक्त भूमि की किस्म भी परिवर्तित नहीं की जा सकती। इस कारण प्रा० पत्र धारा 151 cpc. यथावांछित अवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के में जा
	प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार निस्तारित किया जाता है।	

खसरा नं० 235 में से 44 मीटर लम्बा एवं 9 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तुत हो रहा है, जिसकी D.L.C. दर से कीमत 214265/- आंकलित आंकी गई है।

खसरा नम्बर 235 के खातेदार तथा प्रार्थी के मध्य पूर्व से किसी प्रकार की रकम तय नहीं हो रही है, इस कारण उक्त पक्षकारों के मध्य सहमति स्वरूप उक्त राशि की दो गुना रकम अर्थात 214265×2 = 428530/- अक्षरे चार लाख अट्ठाइस हजार पाँच सौ तीस रुपये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी गीताबाई को भुगतान करवाया जाकर खसरा नम्बर 235 के दक्षिण भाग में से 9 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः पक्षकारान की सहमति तथा गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम कमलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 235 कुल रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.0792 हे० हेक्टेयर भूमि सिवाय चक सार्वजनिक रास्ता दर्ज की जावे। खसरा नं. 235 में से दक्षिण मेड के सहारे-सहारे 9 मीटर चौड़ा रास्ता नक्शे में तामील किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकरण में नियत राशी 428530/- अक्षरे चार लाख अठाईस हजार पांच सौ तीस रुपये प्रार्थिया द्वारा गीताबाई पत्नी मोहनलाल मीना सा० कुकड़ाखुर्द को भुगतान करने के उपरान्त रिकार्ड में अमल किया जावे। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	